

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल।
आदेश संख्या- 17 / 2026 दिनांक: 15 अक्टूबर, 2026

आदेश

पूर्व में आदेश संख्या-46 / 2025 दिनांकित 22 सितम्बर, 2025 द्वारा वाह्य न्यायालय कोटद्वार में अवकाश की तिथियों में रिमाण्ड व्यवस्था की गई थी। अतः उक्त आदेश दिनांकित 22 सितम्बर, 2025 को संशोधित करते हुए अवकाश तिथियों में रिमाण्ड व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने हेतु, रिमाण्ड ड्यूटी एवं तत्सम्बन्धी कार्य हेतु माह नवम्बर, 2026 से माह अप्रैल 2027 तक निम्नवत् व्यवस्था की जाती है:-

वाह्य न्यायालय कोटद्वार, हेतु रिमाण्ड व्यवस्था।

माह नवम्बर, 2026—	सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
माह दिसम्बर, 2026 —	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
माह जनवरी, 2027 —	सिविल जज (सी0डि0)/ए0सी0जे0एम0, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
माह फरवरी, 2027 —	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
माह मार्च, 2027 —	सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
माह अप्रैल, 2027 —	सिविल जज (सी0डि0)/ए0सी0जे0एम0, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश मात्र अवकाश दिवसों पर ही लागू होगा। यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार का कोई अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं तो, उन्हें तत्काल अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना होगा और अपने अवकाश प्रार्थना पत्र में भी यह स्पष्ट करना होगा कि उनकी रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान उनके स्थान पर किस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की सहमति दी गई है, और कौन न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

तदनुसार आदेश की प्रति समस्त संबंधित को प्रेषित की जाए।

(शहजाद ए0 वाहिद)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक 153 / 2026 दिनांक: पौड़ी अक्टूबर 15, 2026

प्रतिलिपि:-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी, गढ़वाल।
3. श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी, गढ़वाल।
4. श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार।
5. श्रीमान सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
6. श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार।
7. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, पौड़ी।
8. अधिवक्ता संघ कोटद्वार।
9. नोटिस बोर्ड।

रीडर,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पौड़ी गढ़वाल।